File No: TIC-C10201/2/2022-IMPORTS-FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण) (व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग) एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

दिनांक, 16 अक्टूबर, 2023

Advisory

विषय: 100% निर्यात/पुनः निर्यात उद्देश्य के लिए खाद्य खेप के आयात के संबंध में|

Sub: Import of food consignment for 100% Export/Re-export purpose-reg.

This office has received various representations from importers regarding delays in the clearance of imported food consignments, intended for captive use or production of value-added products meant for 100% Export / Re-export.

2. In this regard, attention is drawn to Regulation 7 (3) of of Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017 which states as:

"Unless otherwise specified, the customs authority need not to refer the imported articles of food to Food Authority for clearance if such articles of food are meant for the following purpose, namely:

a. Export as per the extant instructions and export rejected or re- imported articles of food meant for re-export of the Government

b. The articles of food or ingredients or additive imported by the manufacturers or processors for their captive use or production of value-added products for hundred percent exports; or the consignments of articles of food or ingredients or additives imported by the firms or companies for use of their sister concerns or wholly owned subsidiary companies, to be used for hundred per cent export production subject to a defined relationship agreement between the two entities in this behalf and accompanied with Sanitary/Health Certificate issued by the Competent Authority of an exporting country.

Explanation 1 - For the purposes of clause (b) of sub – regulation 3, the importer shall declare in FORM – 8 regarding the captive or end use of the imported product to the Customs Department at the time of filing the bill of entry, declaring that the imported articles of food is meant to be used by the importer for hundred per cent export or re-import of articles of food for export again as the case may be, and that no part thereof shall be supplied for domestic consumption.

Explanation 2 - The facility under clause (b) of sub – regulation 3 shall not be applicable in the case of trading entities, which do not import such items for their captive use in view of the problems associated with traceability of the end-use of such items".

3. In view of the above, food imported by the manufacturers or processors for their captive use or production of value added products for 100% Export / Re-export may avail the above-mentioned provision by making a declaration to the Customs in prescribed Form no. 8 specified in Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017 at the time of filing Bill of Entry in ICEGATE. In case any BoE which is filed by Importer availing the above referred provision and the BoE is still transmitted by ICEGATE to FSSAI's Food

Import Clearance System (FICS), the concerned FSSAI official may issue "Not in Scope" certificate after verification of the documents with due diligence and without usual requirement of visual inspection, sampling and testing.

यह सक्षम प्राधिकारी के अन्मोदन से जारी किया जाता है।

Encl: Copy of Form -8.

सादर,

मानवेश (मानवेश कुमार, आईआरएस) निदेशक (टीआईसीडी) एफएसएसएआई-मुख्यालय, नई दिल्ली

To:

- 1. Importers/other Stakeholders
- 2. Joint Secretary, CBIC
- 3. Pr. ADG, ICEGATE for necessary action.
- 4. Regional Directors and Authorized Officers, FSSAI
- 5. CITO, FSSAI-HQ- for uploading on FSSAI Website.

FORM - 8

[See regulation 7 (2)]

(For imported food consignment meant for hundred per cent Export/ Re- export) Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on FBO/Importer/Company's letterhead)

- 1.
 I/We have imported the consignment of _____< Name of product> _____

 measuring _____< <Weight/ Units> from _____
 <Country of origin of consignment> _____

 vide _____
 <Bill of entry number> _____
 dated ______

 <Port location> ;
 ;
- 2. The aforementioned Food Product is intended solely for the captive use/ production of value added products/ for use of our sister/ subsidiary companies (subject to a defined relationship agreement between the two entities) for 100% exports/ re- export.
- 3. I/We undertake that no part thereof will be supplied for domestic consumption.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name:
Place:	Address:
Date:	Contact Nos:



File No: TIC-C10201/2/2022-IMPORTS-FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण) (व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग) एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

परामर्शिका

दिनांक, 16 अक्टूबर, 2023

विषय: 100% निर्यात/पुन: निर्यात उद्देश्य के लिए खाद्य खेप के आयात के संबंध में।

इस कार्यालय को आयातित खाद्य खेपों की निकासी में देरी के संबंध में आयातकों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि कैप्टिव उपयोग या 100% निर्यात / पुनः निर्यात के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए हैं।

2. इस संबंध में, खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 7 (3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो इस प्रकार है:

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सीमा शुल्क अधिकारी खाद्य प्राधिकरण को आयातित खाद्य वस्तु के निकासी के लिए नहीं कह सकता है जब तक ऐसा खाद्य पदार्थ निम्न के लिए न हो:-

(क) वर्तमान सरकार के निदेशो के अनुसार निर्यात और निर्यात को अस्वीकार कर दिया या फिर आयातित खाद्य फिर से निर्यात हो रहा है;

(ख) खाद्य सामग्री या संघटक या सहयोज्य जिन को कि निर्माताओं या प्रसंस्कृतकर्ताओं के द्वारा अपने खपत उपयोग हेतु या मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को सौ फीसदी निर्यात के लिए आयातित किया जा रहा है; या खाद्य वस्तुओं या सामग्री या संघटक उनकी सहायक कम्पनियों के द्वारा आयात किया जा रहा है या पूरी तरह सहायक कम्पनियों के द्वारा पूरी तरह निर्यात के लिये उपयोग किया जा रहा है बशर्ते दो संस्थाओं के बीच ऐसा करार हो चुका हो और निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वच्छता/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ हो;

स्पष्टिकरण-1 : उपनियम 2 के खण्ड (ख) के उद्देश्य हेतु, आयातक कस्टम विभाग को प्रारूप 8 में आयातित उत्पाद के खपत उपयोग अथवा अंतिम उपयोग के सम्बन्ध में प्रविष्टी बिल भरते समय जानकारी प्रस्तुत करेगा, यह घोषणा करते हुए कि आयातित खाद्य पदार्थ को सौ प्रतिशत निर्यात के लिए या दोबारा से निर्यात के लिए प्रयोग किया गया है और इसके किसी भी भाग की आपूर्ति घरेलू खपत के लिए नहीं की जाएगी।

स्पष्टिकरण-2 : विनियमन 3 उप खंड (ख) के अधीन सुविधा व्यापारिक संस्थाओ के लिए लागू नहीं होगी जो ऐसी वस्तुओं का आयात खपत उपयोग हेतू उनके अंतिम उपयोग की पता लगाने क्षमता की समस्या के कारण नहीं करते हैं

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्माताओं या प्रोसेसरों द्वारा अपने कैप्टिव उपयोग या 100% निर्यात / पुनः निर्यात के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए आयातित भोजन खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट फॉर्म 8 में सीमा शुल्क विभाग को निर्धारित घोषणा करके उपर्युक्त प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं। ICEGATE में प्रवेश का बिल दाखिल करते समय यदि कोई बीओई जो आयातक द्वारा उपर्युक्त प्रावधान का लाभ उठाते हुए दायर किया गया है और बीओई अभी भी ICEGATE द्वारा FSSAI के खाद्य आयात निकासी प्रणाली (FICS) को प्रेषित किया जाता है, तो संबंधित FSSAI अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यथोचित कार्रवाई कर दृश्य निरीक्षण, नमूनाकरण और परीक्षण की सामान्य आवश्यकता के बिना "स्कोप में नहीं" प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: फॉर्म-8 की प्रति।

सादर

(मानवेश कुमार, आईआरएस) निदेशक (टीआईसीडी) एफएसएसएआई-मुख्यालय, नई दिल्ली

को:

1. आयातक/अन्य हितधारक

- 2. संयुक्त सचिव, सीबीआईसी
- 3. प्र. एडीजी, आइसगेट को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 4. क्षेत्रीय निदेशक और प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई
- 5. सीआईटीओ, एफएसएसएआई-मुख्यालय- एफएसएसएआई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।